न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल अध्यक्ष महोदय
मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

श्री महेन्द्र कुमार मानव द्वारा आज दिनांक 12-2-16 प्रस्तुत किया गया।
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

Rs. 301

A5071-III/16

महेन्द्र कुमार उर्फ महेन्द्र मानव पिता राम जियावन कुर्मी साकिन भिरिया टोला तहसील जय सिंह नगर, जिला शहडोल, म० प्र० ———(अपीलार्थी)—

बनाम

1- राम बकस, 2- राम दयाल, 3- सुग राम — पिता बिशेषर कुर्मी
4- तेज भान, 5- राम सुफल — पिता महादेव कुर्मी
(1 से 5) साकिन तेंदुआढ़ तहसील जय सिंह नगर जिला शहडोल, म० प्र०

6- लोला उर्फ राजवती पति महेश प्रसाद वल्द चिन्तामणि कुर्मी सा० आरवेट पुर तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल, म० प्र०

7- जानकी उर्फ राम बहोरी पति विजय लाल वल्द राम प्रसाद कुर्मी सा० बराढ़, तह० जय सिंह नगर

8- घोग्घा उर्फ जानकी बाई पति मानिक लाल वल्द अतबली कुर्मी सा० भमरहा (प्रथम) तह० ब्यौहारी

9- ठल्लू उर्फ राम कली पति राम प्रकाश वल्द सदोले कुर्मी सा० खड्डा तह० ब्यौहारी

10- मुस० सोना बाई उर्फ सोनिया पति महादेव कुर्मी
11- समर जीत (पक्कू), 12- बाबू लाल, 13- राम सजीवन (मण्डल), 14- शोम नाथ — पिता राम सहाय कुर्मी
(10 से 14) सा० तेंदुआढ़ तह० जय सिंह नगर

15- चन्दी पति राजा राम वल्द लालमणि कुर्मी सा० गोवर्दे
16- मुन्नी पति भोला प्रसाद वल्द गुरु प्रसाद कुर्मी सा० बल्हौड़ (टिकुरी टोला)
(15, 16) तह० मानपुर जिला-उमरिया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक 5071—तीन/2016 अपील   जिला शहडौल

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-8-17	आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के प्रकरण क्रमांक 807/2008—09 अपील में पारित आदेश दिनांक 19—11—2015 के विरूद्व यह तृतीय अपील मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 (2) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर से अपीलांट को अपील की प्रचलनशीलता पर सुना गया तथा आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के आदेश दिनांक 19—11—2015 का अवलोकन किया गया। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अवलोकन से पाया गया कि संहिता की धारा 44 में तीसरी अपील का प्रावधान नहीं है जबकि नायव तहसीलदार जयसिंह नगर के प्रकरण क्रमांक 19अ727/86—86 में पारित आदेश दिनांक 5—8—86 के विरूद्व प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी जयसिंहनगर के समक्ष क्रमांक 26/86—87 में पारित आदेश दिनांक 8—11—90 से एंव द्वित्तीय अपील आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के प्रकरण क्रमांक 807/2008—09 में पारित आदेश दिनांक 19—11—2015 से श्रवण की जाकर निराकृत है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 में तीसरी अपील का प्रावधान न होने से अपील अग्राह्य है जो अमान्य की जाती है। सदस्य	